भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2986

19 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में स्त्री-पुरुष अनुपात

2986# श्री महेंद्र भट्टः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पुरुषों और महिलाओं का स्त्री-पुरुष अनुपात क्या है;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों के लिए कोई योजना बनाई है जहाँ स्त्री-पुरुष अनुपात में विसगतियां पाई जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): अद्यतन नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में जन्म के समय स्त्री-पुरुष अनुपात (एसआरबी) प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं।

(ख): एसआरबी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 एक केंद्रीय कानून है जिसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बालक-बालिका-भेदभावपूर्ण लिंग-चयन पद्धतियों पर अंकुश लगाने और महिला-पुरुष-संवेदनशील नीतियों, जागरूकता सृजन और विधायी उपायों के माध्यम से बालिकाओं के लिए एक सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए समान रूप से लागू किया गया है। गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम, 1994 गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर निषेध लगाने और आनुवंशिक असामान्यताओं या चयापचय संबंधी विकारों या गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं या कुछ जन्मजात विकृतियों या लिंग-संबंधी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के विनियमन और लिंग निर्धारण हेतु उनके दुरुपयोग की रोकथाम, जिससे कन्या भ्रूण हत्या होती है, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।

सरकार द्वारा गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम के बारे में जागरूकता और क्षमता निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और पक्षसमर्थन संबंधी कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।
- राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष पूरे देशभर में मनाए जाते हैं।
- मंत्रालय ने इस अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन कर्ताओं के ऑनलाइन विज्ञापनों की निगरानी और उन विज्ञापनों को हटाने को सुविधाजनक बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक 'नोडल एजेंसी' का गठन किया है।
- गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को और सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र, राज्यों और जिलों द्वारा सामान्य समीक्षा मिशन दौरों, निरीक्षण और निगरानी दौरों जैसे विभिन्न संस्थागत तंत्रों के माध्यम से नियमित समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी, 2015 को घटते बाल लिंगानुपात (सीएसआर) और जीवन चक्र में लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। 15वें वित्त आयोग की अवधि में, मिशन शक्ति के संबल (एसएएमबीएल) खंड के अंतर्गत एक घटक के रूप में, बीबीबीपी का विस्तार देश के सभी जिलों में किया गया है, जिसमें बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रभाव-पूर्ण कार्यकलापों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

यह योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, प्रतिबद्ध और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने पर केंद्रित है। सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और जनता सहित विभिन्न हितधारकों को संगठित करके, बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाना एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल महिला-पुरष अनुपात और लिंग-आधारित भेदभाव से संबंधित तात्कालिक चिंताओं का समाधान करना है, बल्कि बालिकाओं के महत्व और उनके अधिकारों व अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना है।

दिनांक 19 अगस्त, 2025 के लिए राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2986 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिला), भारत और प्रमुख राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली, ओआरजीआई		
क्र.सं.	भारत और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवधि 2020-22 के लिए
1.	भारत	914
2.	आंध्र प्रदेश	936
3.	असम	935
4.	बिहार	898
5.	छत्तीसगढ़	970
6.	दिल्ली	864
7.	गुजरात	897
8.	हरियाणा	883
9.	हिमाचल प्रदेश	953
10.	जम्मू एवं कश्मीर	927
11.	झारखंड	926
12.	कर्नाटक	929
13.	केरल	970
14.	मध्य प्रदेश	915
15.	महाराष्ट्र	888
16.	ओडिशा	919
17.	पंजाब	898
18.	राजस्थान	924
19.	तमिलनाडु	924
20.	तेलंगाना	899
21.	उत्तर प्रदेश	913
22.	उत्तराखंड	857
23.	पश्चिम बंगाल	934
